छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-09

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 9 मार्च, 2017</u>
(फाल्गुन 18, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, सदस्य ने बस्तर तथा कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों द्वारा धान की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संतराम नेताम, सदस्य ने केशकाल विधान सभा क्षेत्र की तहसीलों में कृषकों की जमीन के नक्शा कम्प्यूटर में इंद्राज नहीं होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नवीन मारकण्डेय

(2) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. खिलावन साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 08)	श्री भूपेश बघेल	1 घंटा
2. (क्रमांक - 16)	श्री शिवरतन शर्मा	45 मिनट
3. (क्रमांक - 09)	श्री बघेल लखेश्वर	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से संबंधित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बजट पुस्तिका में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया:- (1) पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17-88 पर मद क्रमांक-11, सरल क्रमांक-01 पर अंकित विकासखंड पलारी, संस्था का नाम-चिचरदा के स्थान पर विकासखंड बलौदाबाजार, संस्था का नाम-चिचिरदा (2) पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17-101 पर मद क्रमांक-02, संस्था का विवरण पर अंकित संडी बंगला के स्थान पर संडी (3) पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17-103 पर मद क्रमांक-04, सरल क्रमांक-01 पर अंकित गिदपुरी के स्थान पर गिधपुरी, (4) पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17-103 पर मद क्रमांक-04, सरल क्रमांक-04 पर अंकित ओडान के स्थान पर ओड़ान (5) पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 17-103 पर मद क्रमांक-04, सरल क्रमांक-05 पर अंकित अर्जुनी ब के स्थान पर अर्जुनी (ब) संशोधित कर पढ़ा जाये।

7. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19 तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-28 पर श्री दीपक बैज मांग संख्या-30 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, केशव चंद्रा, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री श्यामलाल कंवर, मोहन मरकाम, संतराम नेताम मांग संख्या-80 सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, मोहन मरकाम मांग संख्या-19 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, धनेन्द्र साहू, बघेल लखेश्वर, दीपक बैज, केशव चंद्रा, श्रीमती देवती कर्मा, श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री संतराम नेताम, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या-79 पर श्री अरूण वोरा एवं श्री मोहन मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल, श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू, श्री कवासी लखमा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्री अरूण वोरा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के लिए "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं "उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर" के चयन हेतु गठित समिति ने निम्नांकित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है :-

वर्ष 2014 के लिए

उत्कृष्ट विधायक के रूप में :

1 सत्ता पक्ष से - **माननीय श्री देवजी भाई पटेल**

2 प्रतिपक्ष से - **माननीय श्री मोतीलाल देवांगन**

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में :

दैनिक समाचार पत्र "हरिभूमि" के - **श्री प्रवीण पाठक**

उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में :

जी न्यूज (मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़) के - **श्री देवेश तिवारी, संवाददाता**

- **श्री अभिषेक पाटसकर, कैमरामेन**

वर्ष 2015 के लिए

उत्कृष्ट विधायक के रूप में :

1 सत्ता पक्ष से - **माननीय श्री शिवरतन शर्मा**

2 प्रतिपक्ष से - **माननीय श्री धनेंद्र साहू**

<u>उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में</u> :

दैनिक समाचार पत्र "प्रखर समाचार" के - **श्री रविकांत कौशिक**

<u>उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में</u> :

ई. टी. व्ही. (मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़) के - **श्री प्रकाश होता, संवाददाता**

\- **श्री इमरान कुरैशी, कैमरामेन**

<u>वर्ष 2016 के लिए</u>

<u>उत्कृष्ट विधायक के रूप में</u> :

1 सत्ता पक्ष से - **श्रीमती सरोजनी बंजारे**

2 प्रतिपक्ष से - **श्री कवासी लखमा**

<u>उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में</u> :

दैनिक समाचार पत्र "नवभारत" के - **श्री बृजेश द्विवेदी**

<u>उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर के रूप में</u> :

आई. बी. सी.-24 के - **श्री धनवेन्द्र जायसवाल, संवाददाता**

\- **श्री मुकेश दरियाब, कैमरामेन**

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को बधाई दी।

<u>9. सदन को सूचना</u>

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि होली के अवसर पर शुक्रवार, 10 मार्च, 2017 को अपराह्न 03:30 बजे से सेंट्रल लॉन में रंग गुलाल व हास्य का आयोजन रखा गया है ।

इस अवसर पर श्री राजू श्रीवास्तव एवं डॉ.सुरेंद्र दुबे हास्य प्रस्तुत करेंगे और पश्चात "फाग" भी होगा ।

कृपया कार्यक्रम में परिवार सहित सम्मिलित होकर होली के इस कार्यक्रम को रंगारंग बनाये।

<u>10. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)</u>

श्री बृहस्पत सिंह, डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री केशव चंद्रा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. प्रीतम राम, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री भोलाराम साहू,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री गिरवर जंघेल, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), श्यामबिहारी जायसवाल,

11. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि कल 10 मार्च, 2017 को आयोजित होली मिलन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

12. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री दीपक बैज, मोहन मरकाम, देवजी भाई पटेल, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 (फाल्गुन-19, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा